राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–199 / 2023

कुंज बिहारी सिंहल

–अपीलार्थी

बनाम

1. शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार सचिवालय, जयपुर।
2. निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
3. संभागीय आयुक्त, जयपुर संभाग जयपुर।
4. आशीष नौशादर, सहायक राजस्व लेखाधिकारी ग्रेड द्वितीय, जिला कलेक्ट्रेट, अजमेर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश दिनांक : 20.01.2023

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अभिभाषक
निजी प्रत्यर्थी सं.4 की ओर से : श्री शिवेन गुप्ता, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील मे अपीलार्थी ने आदेश दिनांक 09.01.2023 (अनुलग्नक–1) को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण कार्यालय संभागीय आयुक्त, जयपुर से जिला कलेक्ट्रेट, अजमेर में किया गया था एवं इसी आदेश में निजी प्रत्यर्थी का स्थानान्तरण अपीलार्थी के स्थान पर कार्यालय संभागीय आयुक्त, जयपुर में किया गया।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का मुख्य रूप से यह तर्क रहा है कि पूर्व में निजी प्रत्यर्थी को आदेश दिनांक 06.01.2023 के द्वारा तहसील श्रीमाधोपुर, सीकर से कार्यालय जिला कलेक्टर अजमेर मे स्थानान्तरित किया गया था, परन्तु अजमेर में निजी प्रत्यर्थी ने कार्यभार ग्रहण नहीं किया और तीन दिन पश्चात ही आलोच्य आदेश पारित कर निजी प्रत्यर्थी का स्थानान्तरण अपीलार्थी के स्थान पर कर दिया गया है और अपीलार्थी को निजी प्रत्यर्थी के स्थान पर जिला कलेक्टर, अजमेर के कार्यालय में स्थानान्तरित किया गया है, जो उचित नहीं है, क्योंकि निजी प्रत्यर्थी को लाभ देने के दृष्टि से अपीलार्थी को स्थानान्तरित किया गया है।
3. उनका तर्क है कि इस अपील में अधिकरण द्वारा दिनांक 13.01.2023 को अंतरिम स्थगन आदेश पारित कर स्थानान्तरण आदेश दिनांक 09.01.2023 की क्रियान्विति को अपीलार्थी के पदस्थापन के सम्बन्ध में अधिकरण के आगामी आदेश तक स्थगित रखा गया और यह भी स्पष्ट किया गया कि अपीलार्थी

को वहीं कार्यरत रखा जावें, जहां वह चुनौती आदेश पारित किये जाने से पूर्व कार्यरत था।

4. उनका यह भी तर्क है कि उपरोक्त स्थगन आदेश पारित किये जाने से पूर्व निजी प्रत्यर्थी ने नये स्थान पर कार्यभार ग्रहण किया था, परन्तु स्थगन आदेश के पश्चात उसे कार्यमुक्त कर दिया गया है। वर्तमान में अपीलार्थी भी अपने पूर्व के स्थान पर कार्यरत है।
5. निजी प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान् अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत कर तर्क दिया कि निजी प्रत्यर्थी शत–प्रतिशत दृष्टिबाधित कर्मचारी है अर्थात वह पूर्ण रूप से अंधा है। ऐसे में निजी प्रत्यर्थी को राज्य सरकार की नीति के तहत ईच्छित स्थान पर पदस्थापित किया गया है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। यह नहीं माना जा सकता कि निजी प्रत्यर्थी को संमजित करने की दृष्टि से अपीलार्थी को स्थानान्तरित किया गया हो। अतः अपील निरस्त फरमायी जावे।
6. हमने दोनों पक्षों के तर्को पर विचार किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।
7. वर्तमान में अपीलार्थी को स्थगन आदेश की पालना में जयपुर में ही पदस्थापित रखा गया है और वर्तमान में निजी प्रत्यर्थी को कार्यमुक्त कर दिया गया है। ऐसे में वर्तमान में जयपुर में अपीलार्थी ही कार्यरत है। प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा परिपत्र दिनांक 18.07.2022 जारी किया गया है, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि विशेष योग्य जनों की नियुक्ति/पदस्थापन उनके ईच्छित स्थान या नजदीकी स्थान पर किये जाने पर विचार किया जावे। वर्तमान में निजी प्रत्यर्थी पूर्ण रूप से अंधा है। ऐसे में उक्त परिपत्र की पालना में निजी प्रत्यर्थी को ईच्छित स्थान पर पदस्थापित किया जाना उचित था। निजी प्रत्यर्थी ने अपना ईच्छित स्थान जयपुर शहर होना बताया है, जिसके सम्बन्ध में उसने पूर्व में दिनांक 14.09.2022 को अभ्यावेदन भी प्रत्यर्थी विभाग को प्रेषित किया है। वर्तमान में निजी प्रत्यर्थी के जयपुर में कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात उसे कार्यमुक्त कर दिया गया है।
8. अतः उपर्युक्त विवेचनानुसार हस्तगत अपील स्वीकार करते हुए अधिकरण द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 13.01.2023 को सम्पुष्ट किया जाता है एवं आलोच्य आदेश दिनांक 09.01.2023 (अनुलग्नक–1) को एतद्द्वारा अपास्त किया जाता है। साथ ही प्रत्यर्थी विभाग को यह भी निर्देश दिया जाता है कि प्रत्यर्थी विभाग अपीलार्थी व निजी प्रत्यर्थी के सम्बन्ध में नये सिरे से

पदस्थापन/स्थानान्तरण आदेश पारित करने के लिये स्वतंत्र रहेगा। यह भी आदेश दिया जाता है कि निजी प्रत्यर्थी के सम्बन्ध में इच्छित स्थान जयपुर शहर के दृष्टिगत निजी प्रत्यर्थी को जयपुर शहर में ही पदस्थापित किया जावे। निजी प्रत्यर्थी के सम्बन्ध में नया पदस्थापन आदेश 15 दिवस की अवधि में पारित किये जाने के निर्देश प्रत्यर्थी विभाग को दिये जाते है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)